कार्यालय जिला कलक्टर भीलवाडा

(कलेक्ट्रेट परिसर प्रथम तल कमरा नम्बर 105 दूरभाष नम्बर 01482–232601)
Website:- www.bhilwara.rajasthan.gov.in E-Mail :- dm-acc-bhi-rj@nic.in

क्रमांक:–लेखा/2020–21/37005-07 दिनांक:– 5.01.2021

प्रस्ताव आमन्त्रण सूचना

सर्वसाधारण इच्छुक व्यक्तियों/संस्थाओं से साईकिल स्टेण्ड संचालन ठेका आदेश जारी होने की तारीख से दो वर्ष तक के लिये मुहरबन्द लिफाफे में प्रस्ताव आमन्त्रित है । जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है–

कार्य का नाम	संभावित आय/	निविदा प्रपत्र मूल्य	अमानत (बयाना) राशि	निविदा प्रपत्र क्रय करने की समय सीमा	निविदा प्रस्तुत करने की समय सीमा	निविदा खोले जाने का समय
साईकिल स्टेण्ड संचालन ठेका	100000/– **आय**	200	4000	दि. 18.01.2021 **(दिन में 1.00 बजे तक)**	दि 18.01.2021 **(सांय 03 बजे तक)**	दि. 18.01.2021 **को दिन में 04.00 बजे**

प्रस्ताव प्रपत्र निर्धारित शुल्क जमा करा कमरा नम्बर 105 से प्राप्त किये जा सकते है अथवा वेबसाईट www.bhilwara.rajasthan.gov.in से डाउनलोड कर प्राप्त किये जा सकते है। ऑनलाईन डाउनलोड कर प्रस्तुत करने वाले निविदादाता को निविदा शुल्क निविदा प्रस्तुत करते समय नकद/बैंक ड्राफ्ट/बैंकर चैक से जमा करानी होगी। अमानत राशि नकद/ बैंक ड्राफ्ट/बैंकर चैक से जमा कराना आवश्यक है। निविदा शुल्क व अमानत राशि के अभाव में प्राप्त निविदा पर कोई विचार नही किया जावेगा। निर्धारित समय के उपरांत प्राप्त निविदाओ पर विचार नही किया जावेगा। निविदा का विस्तृत विवरण, शर्ते आदि निविदा प्रपत्र से संलग्न रहेगी । निविदा के सम्बन्ध में सर्वाधिकार राजकीय नियमों के अन्तर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता के पक्ष में सुरक्षित हैं ।

प्रभारी अधिकारी लेखा
कार्यालय **जिला कलक्टर**
भीलवाडा

प्रतिलिपि –

1–नोटिस बोर्ड, स्थानीय कार्यालय , नगर परिषद ,न्यास ,कोष कार्यालय एवं जन–सम्पर्क कार्यालय भीलवाड़ा।

2–सिस्टम एनालिस्ट, सूचना एवं प्रोधोगिकी विभाग को भेजकर लेख है कि जिला भीलवाड़ा की वेबसाइट www.bhilwara.rajasthan.gov.in पर प्रदर्शित करे।

प्रभारी अधिकारी लेखा
कार्यालय **जिला कलक्टर**
भीलवाडा

E:\All Accounts\tender\Cycle stand Tender.docx

प्रस्ताव आमन्त्रण प्रपत्र
(साईकिल स्टेण्ड ठेका)

मैं...

पुत्र श्री...निवासी...

.... जिला कलक्टर कार्यालय, भीलवाड़ा की निविदा सूचना कमांकः लेखा / ... . दिनांक......................के अनुसार जिला कलक्टर कार्यालय भीलवाडा के परिसर में स्थित **साईकिल स्टेण्ड का ठेका (आदेश जारी होने की तिथि से दो वर्ष के लिए)** के लिए रूपये................................अक्षरे रूपये... .... वार्षिक में लेने को तैयार हूँ । आप द्वारा निर्देशित सभी शर्तो को मैंने पूर्णरूपेण पढ समझ लिया है एवं मुझे आपकी सभी शर्ते मंजूर है । निविदा सूचना व शर्तो के अनुसार **निविदा प्रपत्र शुल्क रू. 200/**–रसीद नं........................दि............. ....व अनुमानित राशि का **2 प्रतिशत के रूप में 4000/– अक्षरे चार हजार रूपया अमानत राशि** रसीद कमांक..दिनांक .... /संलग्न ड्राफ्ट संख्या.....................दिनांक......................... से जमा करा दी गई है ।

संलग्नः– <u>शर्ते जीएसटी, पेन नं. व पहचान पत्र की फोटो प्रति</u>

निविदादाता के हस्ताक्षर

नाम.....................................

पूर्ण पता.................................

मोबाइल नम्बर ....
ई–मेल ....
जीएसटी नं. ....
पेन नं...

E:\All Accounts\tender\Cycle stand Tender.docx

साईकिल स्टेण्ड ठेके की शर्ते

जिला कलेक्टर कार्यालय भीलवाडा के परिसर में स्थित साईकिल स्टेण्ड के वार्षिक अनुबन्ध (ठेका) (आदेश जारी होने की तिथि से दो वर्ष के लिए) के लिए निम्नानुसार शर्ते निर्धारित की जाती हैः–

- जिला कलेक्टर कार्यालय के परिसर में स्थित किसी भी कार्यालय में कार्य करने वाले अधिकारियों /कर्मचारियों के वाहन तथा राजकीय कार्य से बाहर से आने वाले सरकारी कर्मचारियों के वाहनों को साक्ष्य उपलब्ध कराने पर साईकिल स्टेण्ड पर रखने की सुविधा निःशुल्क प्रदान की जाएगी । यह सुविधा विभिन्न बैठकों में भाग लेने के लिये या अन्य किसी राजकीय कार्य निमित्त आगन्तुक जिला परिषद के माननीय सदस्यों एवं अन्य जन–प्रतिनिधियों को भी प्रदान करनी होगी ।
- ठेकेदार को जिला कार्यालय में स्थित परिसर में पक्की सडक को छोडकर समस्त दोपहिया एवं कार/जीप आदि वाहन खडे करने की पूर्ण व्यवस्था करनी होगी । वाहन बे–तरतीब इधर–उधर ना रखे जा–कर व्यवस्थित रूप से अपने निर्धारित स्थान पर ही पार्क किये जावें यह व्यवस्था करने /बनाये रखने की जिम्मेदारी साईकिल–स्टैन्ड ठेकेदार की होगी ।
- ठेकेदार को वाहन स्टैण्ड पर रख कर आगन्तुको को इलेक्ट्रोनिक मशीन से टोकन प्रिन्ट जारी करना अनिवार्य होगा । इसी प्रकार इसी परिसर में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को भी स्थायी टोकन (एक वर्ष के लिए)जारी करना अनिवार्य होगा ,जो उसकी रसीद होगी ।
- वाहन रखने की दरे निम्न प्रकार निश्चित दर से ही वसूल की जावेगी –

1. साईकिल	2/– रूपया	(प्रत्येक चार घंटे के लिए)
2. स्कूटर/मोटरसाइकिल	5/– रूपया	(प्रत्येक चार घंटे के लिए)
3. जीप/कार	10/– रूपया	(प्रत्येक चार घंटे के लिए)

- निश्चित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर खडे वाहन को ठेकेदार द्वारा निर्धारित स्टेण्ड पर रखा जावेगा जिसके लिए वह निर्धारित शुल्क का डबल चार्ज वसूल कर सकेगा ।
- जिला कलक्टर कार्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार एवं कोषालय के मुख्य प्रवेश द्वार के मध्य के पार्किंग स्थल पर कलेक्ट्रेट परिसर में कार्यरत कार्मिकों के दुपहिया वाहन पार्क किये जायेगें, इस स्थल की तार द्वारा फेसिंग ढेकेदार द्वारा (स्वयं के खर्चे पर) कराई जायेगी। कार्मिक द्वारा वाहन ले जाने के वक्त स्थाई टोकन/परिचय पत्र दिखाना अनिवार्य होगा। यह व्यवस्था राजकीय अवकाश के दिन भी करनी होगी। सभी पार्किंग स्थल पर CCTV ठेकेदार द्वारा (स्वयं के खर्चे पर) लगवाये जायेगें जो 24 घंटे चालू रहेंगें एवं इनका अनुरक्षण स्वयं के खर्चे पर ठेकेदार द्वारा कराया जायेगा।
- उक्त प्रकार से निर्धारित वाहन शुल्क की दर सूची ठेकेदार को साइकिल स्टेण्ड पर इस प्रकार लगानी होगी कि वाहन रखने वाला आसानी से देख सके ।
- वाहन के खो जाने सहित अन्य किसी भी प्रकार की क्षति पर क्षतिपूर्ति की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी । हालाकि इस सम्बन्ध में ठेकेदारको भी अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान किया जाएगा ।
- जो व्यक्ति इस प्रकार की क्षति (वाहन की चोरी या वाहन के पार्ट्स /डीजल , पेट्रोल की चोरी) की पूर्ति के लिये अपना दावा प्रस्तुत करतें हैं उनसे मूल बिल वाउचर्स एवं वाहन चोरी की स्थिति में एफ.आइ.आर की प्रति एवं मूल बीमा पालिसी प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाएगी । सम्बन्धित व्यक्ति को उक्त लिखित रिकार्ड निर्धारित अवधि में प्रस्तुत करना होगा ।
- क्षतिपूर्ति की राशि उल्लिखित रिकार्ड्स के आधार पर अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा इस कार्य के लिये गठित समिति /नियुक्त अधिकारी द्वारा तय की जाएगी ।
- साईकिल–ठेका कार्य के लिये ठेकेदार को स्वयं सेवाएं देनी होगी यदि ठेकेदार स्वयं उक्त कार्य नहीं कर किसी अन्य व्यक्ति को उक्त कार्य के लिये नियोजित करना चाहता है ,तो, इसके लिये उसे अधोहस्ताक्षरकर्ता से पूर्वानुमति प्राप्त करनी होगी ।
- दोनों ही स्थितियों में चाहे ठेकेदार स्वयं सेवाएं दे या किसी अन्य को इस कार्य के लिये नियोजित करे ,ठेकेदार या उसके द्वारा नियोजित व्यक्ति को अपना परिचय पत्र/पहचान पत्र , पता एवं चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा ।
- ठेकेदार ना तो अव्यस्क को इस कार्य के लिये नियोजित करेगा ना ही अपने बैठने के स्थान पर अवाछित , असामाजिक एवं शरारती व्यक्ति को स्थान देगा ।

- ठेकेदार अपने द्वारा नियोजित व्यक्ति के लिये स्वयं भी पूर्ण उत्तरदायी होगा ।
- जिस व्यक्ति को ठेका स्वीकृत किया जावेगा , ठेका उसी व्यक्ति द्वारा चलाया जाना अनिवार्य होगा । उसका उपठेका नहीं किया जा सकेगा ।
- वाहन स्टेण्ड पर ठेकेदार को प्रातः 9.00 बजे से सॉयकाल 9.00 बजे तक उपस्थित रहना होगा ।
- ठेकेदार को आगन्तुकों के साथ उचित व्यवहार करना होगा । किसी भी स्थिति में आगन्तुकों से अशालीन ,अशोभनीय ,अनुचित एवं अमर्यादित व्यवहार किये जाने को ठेका शर्तों का उल्लंघन माना जा–कर ठेका निरस्त तक भी करने की कार्यवाही सम्पादित की जा सकेगी । तथापि ठेकेदार अपने प्रति हुये अनुचित व्यवहार एवं अन्य समस्याओं को समुचित प्रकिया द्वारा अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष निदान हेतु प्रस्तुत कर सकेगा ।
- निविदा के साथ निविदादाता को निविदा सूचना में लिखित अमानत राशि 4000/– जमा करानी होगी । विलम्बित , देरी से प्राप्त , सशर्त एवं बिना अमानत राशि प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा ।
- सफल निविदादाता को धरोहर राशि के रूप में ठेके की राशि का 5 प्रतिशत जमा कराना होगा इस राशि में अमानत राशि का समायोजन किया जा–सकेगा । उक्त राशि ठेका अवधि समाप्ति के पश्चात संतोषप्रद सेवा रहने की शर्त पर पुनः लौटायी जा सकेगी ।
- किसी भी निविदा को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता के पक्ष में सुरक्षित है ।
- सफल निविदादाता को नियमानुसार देय स्टाम्प ड्यूटी के स्टाम्प पेपर पर अनुबंध सम्पादित करने के पश्चात ही ठेके की स्वीकृति जारी की जावेगी एवं ठेका राशि त्रैमासिक अग्रिम जमा करानी होगी।
- निविदादाता(ठेकेदार) को उक्त लिखित ,निविदा सूचना मे वर्णित ,सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों में विहित एवं इस सम्बन्ध में समय–समय पर जारी सभी नियमों को मानना बाध्यकारी होगा ।
- ठेकेदार द्वारा अनुबन्ध शर्तों का उल्लंघन करने पर सिक्योरिटी डिपोजिट जब्त करते हुए ठेका तुरन्त निरस्त कर दिया जाएगा ।
- निविदा दाता को पहचान के साक्ष्य के रूप में वोटर आई डी/पेन कार्ड/राशन कार्ड/ड्राईविंग लाईसेंस/आधार कार्ड में से किसी एक की फोटो प्रति संलग्न करनी होगी।
- पार्किंग व्यवस्था निगरानी के लिये गठित कमेटी द्वारा अगर यह पाया जाता है कि वाहन बेतरतिब खडे है निर्धारित दरो से अधिक राशि ली जा रही है/निर्धारित शुल्क का बोर्ड नहीं लगाया गया है/तय सीमा के बाहर वाहनों को पार्क किया है तो इसे अनुबंध का उल्लघंन माना जायेगा तथा इस हेतु प्रस्तावित पेनल्टी अनुबंध समाप्त की कार्यवाही कमेटी की राय पर की जा सकेगी। पार्किंग व्यवस्था उचित रहे इस हेतु ठेकेदार को एक से अधिक कार्मिक लगाने होंगे जो शुल्क संग्रहण एवं वाहनों को पार्किंग का कार्य करेंगें। ठेकेदार को समस्त श्रम नियमों का पालन करना होगा।

गौरव सोगानी

कार्यालयाध्यक्ष मय लेखाधिकारी
कार्यालय जिला कलक्टर,
भीलवाड़ा

उपरोक्त सभी शर्ते मुझे स्वीकार है । सहमतिस्वरूप हस्ताक्षर एवं मुहर अंकित की जा–रही है ।

हस्ताक्षर निविदादाता मय नाम
व पूर्ण पते सहित